पत्र संख्या-3/एस0-6(प्रोन्नति)02/02

2540/ ||

झारखंड सरकार
वित्त विभाग ।
-::-

रांची, दिनांक 2.11.04

प्रेषक,

श्री बी0 के0 मिश्र,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग,/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/
सभी जिला लेखा पदाधिकारी,झारखंड ।

विषय :- वित्त विभाग के पत्र सं0-275 दि0 30.1.003 की अनदेखी कर गलत वेतन निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे/यह कहना है कि वित्त विभाग के पत्र सं0-275 दि0 30.1.03 के द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दि० 1.1.96 या उसके बाद उच्चतर पद/वेतनमान में प्रोन्नति की स्थिति में निम्न पद/वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन के आधार पर ही (ह्रासमान वैयक्तिक वेतन को छोड़कर) प्रोन्नत पद के लिये स्वीकृत वेतनमान निर्धारित किया जायगा ।

सरकार की दृष्टि में अनेकानेक ऐसे मामले आये हैं जिसमें पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन एवं अनुमान्य ह्रासमान वैयक्तिक वेतन की राशि को जोड़कर उच्चतर पद के वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जा रहा है । स्पष्टतः उपर्युक्त रीति से किया गया वेतन निर्धारण संकल्प सं0-660 दि0 8.2.99 की कंडिका-13 एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं0-275 दि0 30.1.03 की मूल भावना के विपरीत है । गलत वेतन निर्धारण के चलते एक ओर सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है और दूसरी ओर अंतिम वेतन सत्यापन के क्रम में वसूली का सुझाव दिये जाने पर मुकदमेंबाजी होने की संभावना बढ़ रही है ।

..........2/